# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
# 52वीं बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 52वीं बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 को मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के आवास पर संपन्न हुई जिसमें मा. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य शीर्ष अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर सदन का मार्गदर्शन किया।

## श्री पल्लव महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने  एस.एल.बी.सी. की 52वीं **बैठक** में माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी एवं श्री एम. सी. जोशी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन का हार्दिक अभिनन्दन किया और उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 20,56,975 परिवारों में से 20,19,424 आवासित परिवारों के बैंक खाते खोले जाने पर सभी बैंकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इसी उत्साह के साथ ग्राहकों को ATM-RuPay-Debit Card  जारी करें और विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाकर PIN  एव Passbook उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि यद्यपि बैंकों द्वारा सभी परिवारों से खाते खोले जा चुके हैं परंतु अधिकतर क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी न होने के कारण वहाँ पर ऑन-लाइन बैंकिंग सुविधा देने में बैंक असमर्थ हैं, इसलिए भारत सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से अनुरोध किया कि राज्य के शेष 1397 एस.एस.ए. में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएं ताकि बैंक अपने बी.सी. नियुक्त कर प्रदेशवासियों को ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें।

उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कराना है और इन सेवाओं का उचित उपयोग करने हेतु जनसाधारण को

वित्तीय साक्षर एवं जागरुक बनाने में बैंक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए सभी 13 जिलों में एफ.एल.सी. कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा इस वर्ष 657 एफ.एल.सी. कैम्प आयोजित कर 40,642 व्यक्तियों को बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ प्रदान करायीं।

उन्होंने सदन को बताया कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात पिछली तिमाही के सापेक्ष घटकर 58.37 % रह गया जिसका मुख्य कारण प्रदेश से बाहर की बैंक शाखाओं द्वारा प्रदेश में दिए गए ऋण में कमी एवं आपदा के बाद व्यवसायिक क्रियाओं और पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है।

उन्होंने राज्य प्रशासन से पुन: अनुरोध किया कि टिहरी, चम्पावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं देहरादून जिलों में आरसेटी हेतु भूमि उपलब्ध कराएं और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत ऋण आवेदकों को उनके कृषि भूमि के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु शासनादेश शीघ्र जारी करवाने की कृपा करें।

उन्होंने सभी सहयोगी बैंकों से आग्रह किया कि वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करें क्योंकि त्रैमास दिसम्बर, 2014 तक बैंकों द्वारा 64 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गयी है।

अंत में उन्होंने सभी बैंकों, राज्य सरकार, मीडिया एवं विभिन्न डेवलपमेन्ट एजेन्सियों का राज्य के विकास एव ऋण प्रवाह को गति देने के लिये आह्वान किया।

**<u>श्री हरीश रावत, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड</u>**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एस.एल.बी.सी. संयोजक बैंक एवं अन्य बैंकों से कहा कि प्रदेश की ऋण-जमा अनुपात बढ़ नहीं रहा है एवं ऐसे जिले जहाँ समुचित संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ भी ऋण-जमा अनुपात में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है जोकि एक चिंता का विषय है। इसके लिए उन्होंन बैंकों को सुझाव दिया कि क्षेत्र विशेश में क्लस्टर फाइनेंसिंग  की जाए एवं वहाँ के उत्पादों की मार्केटिंग की समुचित सुविधा उपलब्ध करायी जाए। जिन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 40

प्रतिशत से कम रहा है वे इसे बढ़ाने हेतु रोडमैप तैयार कर विशेष प्रयास कर, मार्च, 2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 60 प्रतिशत को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बैंकों के लिए निर्धारित वार्षिक ऋृण योजना वर्ष 2014-15 की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में फार्म सेक्टर के अंतर्गत अधिक संभाव्यता (Potential ) होने के बावजूद भी बैंकों ने इस क्षेत्र में कम ऋृण प्रदान किए हैं, जिसके लिए बैंक प्रतिनिधि गाँवों में जाकर कृषकों की आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें ऋृण प्रदान करें। उन्होने आगे कहा कि जिन बैंकों का वार्षिक ऋृण योजना की उपलब्धि अब तक 50 प्रतिशत से कम है वे शत प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करने हेतु  समुचित नीति / रोडमैप तैयार कर कार्य करें और अपने प्रयासों से सदन को अवगत कराएं।

जिला चम्पावत में कुटीर उद्योग की व्यापक संभावनाएं होते हुए भी बैंकों का ऋृण-जमा अनुपात काफी कम है। सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों से ऋृण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु ठोस कदम उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भी इन्हें अपने लक्ष्य बढ़ाकर प्रदेश के ऋृण-जमा अनुपात को बढ़ाने में और अधिक योगदान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में व़ीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तित करवाने  से संबंधित अध्यादेश जारी किया जा रहा है।

उन्होंने बी.एस.एन.एल. के प्रतिनिधि को निर्देशित  किया कि वे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु विशेष नीति / दिशानिर्देश के साथ-साथ समुचित धनराशि  निर्धारित करवाएं ताकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना को सुगमतापूर्वक पूरे राज्य में लागू  कर पूर्ण किया जा सके।

उन्होंने मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया कि वे संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को आरसेटी संस्थान हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखें।

अंत में उन्होंने कहा कि एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की बैठक में अनुपस्थित बैंक से स्पष्टीकरण मांगा जाए और भविष्य में इसकी पुरावृत्ति न हो।

## उप महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल.

उप महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. ने सदन को अवगत कराया कि राज्य के 15,700 गाँवों में से लगभग 10,700 गाँवों में 2जी. अथवा 3जी. कनेक्टिविटी उपलब्ध है परंतु बैंकिंग परिचालन हेतु ब्रॉड बैण्ड / वाई.-मैक्स सुविधा की आवश्यकता होती है जोकि सीमित स्थानों पर उपलब्ध है। बी.एस.एन.एल. राज्य के सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर टेलीकॉम कनेक्टिविटी शीघ्र उपलब्ध करा देगा, परंतु तब भी लगभग 3 से 4 हजार गाँवों में कनेक्टिविटी पहुँचाना मुश्किल होगा। व़र्तमान में जहाँ टेलीकॉम कनेक्टिविटी की फ्रीक्वेन्सी कम है वहाँ विभाग द्वारा बैंकों की आवश्यकतानुसार फ्रीक्वेन्सी की स्पीड बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है अन्यथा **"वी.-सैट"** को विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

## श्री एम. सी. जोशी, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने बैंकों को निर्देशित किया कि  सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत सभी लम्बित आवेदन पत्रों को 15 दिनों के अंदर निस्तारित करें। इस संबंध में उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समस्त आवेदन पत्र प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में क्रमश: 33 प्रतिशत, 33 प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत के अनुपात में बैंकों को प्रेषित करें, जिससे कि माह दिसम्बर तक सभी आवेदन पत्रों बैंकों को अनिवार्य रुप से प्राप्त हो जाएं ताकि उनका समय पर निस्तारण किया जा सके।

उन्होंने बैंकों से कहा कि वार्षिक ऋण योजना 2014-15 के लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त करने हेतु सभी बैंक विशेष प्रयास करें एवं वे बैंक जिनका ऋण-जमा अनुपात औसतन कम है वे इस दिशा में विशेष उपाय करें।

उन्होंने दूरस्थ ऊँचाई पर स्थित गाँवों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से अनुरोध किया कि पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष संसाधन उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जाए।

## श्री आर.एल. शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लम्बित आवेदन पत्रों, विशेषकर एन.यू.एल.एम., का शीघ्र निस्तारण करें, जिससे कि उनका वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि में वृद्धि दर्ज हो सके और यदि इन योजनाओं के आवेदन पत्रों को वापस किए जाते हैं तो निरस्त किए जाने के स्पष्ट कारण अवश्य अंकित करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत अब भी कुछ परिवारों के बैंक खाते नहीं खुले हैं और बैंकों द्वारा अधिकतर खोले गए खातों पर ATM-RuPay-Debit Card जारी नहीं किए गए हैं। इस योजना के द्वितीय चरण में माइक्रो इंश्योरेन्स एवं पेंशन की योजना भी लागू की जानी है। अत: बीमा कंपनियों को इस दिशा में बैंकों के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

## श्री सी. पी. मोहन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित कि वे अपनी शाखाओं को आदेशित करें कि वे लीड बैंक से संबंधित सभी आँकड़े / विवरणियाँ ससमय प्रेषित करना एवं बी.एल.बी.सी. बैठकों में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा त्रैमासिक अंतराल पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति के सही एवं वास्तविक आँकड़े एस.एल.बी.सी. को प्रेषित नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण आँकड़ों में विसंगतियाँ

पाई जाती हैं और उनमें सामन्जस्य / तालमेल परिलक्षित नहीं होता। अत: सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक आँकड़े प्रेषित करने से पूर्व अपने स्तर पर जाँच करना सुनिश्चित करें।

## श्री एस. सी. नौटियाल, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग, उत्तराखंड शासन

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग ने एम.एस.एम.ई. को राज्य में बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गयी नई नीति के मुख्य बिंदुओं को सदन में पावर प्वाइंट के माध्यम से अवगत कराया और बैंकों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में एम.एस.एम.ई. इकाईयों को वित्तपोषित करें।

## श्री बिश्वा केतन दास, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी शीर्ष अधिकारियों को 52वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये जायें। उन्होंने सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि यदि बैंकों की शाखाओं से मासिक अंतराल पर ऋण वितरण से संबंधित आँकड़े (एल.बी.आर. - 2) प्राप्त नहीं पाते हैं तो इसकी सूचना एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें ताकि वे संबंधित बैंकों के नियंत्रक को तदनुसार सूचित कर आँकड़े मांगवा सके।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि 01 जनवरी, 2015 से राज्य के समस्त जिलों में डी.बी.टी. एवं डी.बी.टी.एल. लागू हो गया है, इसलिए सभी बैंकों से पुन: अनुरोध है कि खाते खोलते समय उनमें "आधार कार्ड संख्या" को भी जोड़ (Seed ) दें और पुराने खातों में भी "आधार कार्ड संख्या" जोड़ना सुनिश्चित कर लें।

उन्होंने बैठक में पधारे शासन के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों एवं बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये धन्यवाद किया।

**********************